राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 86/2013

1. भोपाल सिंह पुत्र जमन सिंह
2. अमर सिंह पुत्र जमन सिंह
3. विजय सिंह पुत्र बन्ने सिंह
4. कमला पुत्री बन्ने सिंह
5. उगली पुत्री बन्ने सिंह
6. गीता पुत्री बन्ने सिंह
7. राजकौर देवी पत्नी बन्ने सिंह

जाति राजपूत निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. नन्द सिंह पुत्र भादर सिंह
2. चिमन सिंह पुत्र भादर सिंह
3. प्रकाश सिंह पुत्र भादर सिंह
4. जयसिंह पुत्र सुलतान सिंह
5. देबू सिंह पुत्र सुलतान सिंह
6. राजेश पुत्र नन्द सिंह
7. बबलू सिंह पुत्र नन्द सिंह
8. मिटू सिंह पुत्र प्रकाश सिंह
9. भवानी सिंह पुत्र चिमन सिंह
10. मुनेश सिंह पुत्र जयसिंह

जति राजपूत निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक 28–06–2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी खाता सं. 77 संवत् 2068 से 2071 के खसरा नंबर 40 रकबा 0.76 है., ख.नं. 41 रकबा 0.18 है., ख.नं. 42 रकबा 0.53 है., ख.नं. 132 रकबा 0.54 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.01 है. ... काश्तकार प्रार्थीगण 1, 2 एवं प्रार्थी सं. 4 से 7 व अप्रार्थी सं. 11 के पिता ... सिंह है। बन्ने सिंह की मृत्यु हो गयी इसलिए प्रार्थीगण सं. 3 से 7 ... एवं उत्तराधिकारी है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 का वादग्रस्त भूमि से कोई ... नहीं है ना ही उन्हें ... भूमि में कोई अधिकार प्राप्त है परन्तु उन्होंने लठ के बल पर दिनांक 05.09.13 से ... की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

खातेदारी भूमि खसरा नंबर 42 रकबा 0.53 है. में नींव खोदना व मकान बनाना शुरू कर दिया जब प्रार्थीगण ने उन्हें मना किया तो वे लड़ाई–झगड़ा पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण संख्या बल में व भुजबल में शक्तिशाली है उनका हौसला बढ़ा हुआ है इसलिए वे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 41 व 132 पर भी कब्जा करना चाहते हैं इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 41, 42, 132 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न स्वयं करें व ना ही अन्य किसी से करावें तथा अप्रार्थीगण को भूमि खसरा नंबर 41, 42, 132 के किसी भाग पर अतिक्रमण पाया जावे तो उसे हटाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 व 7 लगा. 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा काउण्टर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एक ही कुटुम्ब के है जो स्व. खेत सिंह के वारिश/उत्तराधिकारी है। खेत सिंह के तीन पुत्रान जमन सिंह, भादर सिंह, सुलतान सिंह थे जिनमें बड़ा भाई जमन सिंह कर्ता खानदान था। अतः वाद वर्णित भूमि खसरा नंबर 41, 42, 132 व 40 भूमि कर्ता खानदान के रूप में जमन सिंह के नाम से ही दर्ज हो गई। भादर सिंह, सुलतान सिंह का नाम, हिस्सा ही दर्ज नहीं हुआ। जबकि उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जो उन्हें विरासतन मिली है। हम अप्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान जी में वाद उनवानी नन्द सिंह आदि बनाम भोपाल सिंह आदि वाद सं. 162/2013 प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थीगण ने यह वाद/प्रार्थना पत्र झूठा गलत तथ्यों के आधार पर महज अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए आधारहीन प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का वाद वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा है जबकि अप्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में दख्लंदाजी देने से अप्रार्थीगण को हकतलफी होगी व ऐसी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः काउण्टर आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वे दौराने प्रतिदावा वाद वर्णित भूमि खसरा नंबर 40, 41, 42, 132 कुल किता 4 कुल रकबा 2.01 है. वाके ग्राम बसन्त बिहार में अप्रार्थीगण के 2/3 भाग में न घुसे न कब्जा करें व अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में उनके कब्जे काश्त में कोई बाधा/दख्लंदाजी आदि ना करें व प्रश्नगत भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित ना करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:22 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 6 बावजूद सूचना के अनु[illegible] पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2068–2071 खाता सं. [illegible] का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित भूमि बन्ने सिंह भोपाल सिंह अमर सिंह पि0 जमन सिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान की खातेदारी भूमि को लेकर

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

स्थिति स्पष्ट नहीं है। उक्त विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वाद में वर्णित अनुतोष का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक पक्षकारान को विवादित भूमि यथास्थिति बनाये रखते हेतु पाबंद किया जाना उचित होगा।

अतः इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 77 खसरा नंबर 40, 41, 42, 132 कुल किता 4 कुल रकबा 2.01 है. के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.01 14:47:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner